

262/PSJT/GEN/RS

सं- 193/18-01-2025

पि० प०-2

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, अनुभाग-2

संख्या-1/2025/91/94-स्टा०नि०-2-2025-700(89)/2024

लखनऊ, दिनांक : 03 फरवरी, 2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या-16 सन् 1908) की धारा 78-क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के अधीन उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति, 2020 (सन् 2022 में यथा संशोधित) के पैरा-5.10 में यथा उपबन्धित उक्त अनुसूची के स्तंभ-2 यथा उल्लिखित प्रयोजनों के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में यथा प्रदर्शित लिखत के संबंध में प्रभाव्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क में, नीचे अनुसूची के स्तंभ-3 में प्रदर्शित सीमा तक छूट प्रदान करते हैं।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2020 (सन् 2022 में यथा संशोधित) के सुसंगत पैरा	प्रयोजन और अन्य विवरण	छूट की सीमा	भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद संख्या और लिखत की प्रकृति
1	2	3	4
5.10	सेमी कण्डक्टर इकाईयाँ (सिलिकॉन सेमीकण्डक्टर फैब्रिकेशन, डिस्क्रीट फैब्रिकेशन इकाई (फैब), कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, (एस०आई०पी०एच०) सेन्सर्स (एम०ई०एम०एस० सहित) फैब, डिस्क्रीट सेमीकण्डक्टर फैब, सेमीकण्डक्टर असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ए०टी०एम०पी०)/आउटसोर्स सेमीकण्डक्टर असेम्बली और टेस्ट (ओ०एस०ए०टी०) सुविधा) की स्थापना हेतु भूमि का क्रय/पट्टा	100 %	भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसूची अनुसूची-1-ख के अनु० 35-के अधीन 'पट्टा' और अनु०-23 के खण्ड-क के अधीन "हस्तांतरण"

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधधीन होगी अर्थात :-

- (क) संबंधित इकाई को राज्य सरकार की किसी अन्य नीति के अधीन अन्य छूट या सुविधा नहीं प्रदान की जायेगी;
- (ख) जिले का जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन से महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/उपायुक्त उद्योग ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि हस्तान्तरण विलेख, उपरिलिखित प्रयोजनों हेतु निष्पादित किया जा रहा है, तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6-2-2025

(ग) ऐसे हस्तान्तरण विलेख/पट्टा विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय महानिरीक्षक, निबंधन उत्तर प्रदेश के पक्ष में रजिस्ट्रीकरण शुल्क की छूट के समतुल्य धनराशि की अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति (Bank Guarantee), निबन्धनकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इस सम्बन्ध में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी छूट प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा विहित अवधि के भीतर प्रयोजन की पूर्ति न करने अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने की प्रास्थिति की सूचना तत्काल स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश को देगा। ऐसी दशा में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश बैंक प्रत्याभूति को भुना कर विभाग के समुचित लेखाशीर्षक में धनराशि जमा करेगा;

परन्तु यह कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इस तथ्य की पुष्टि किये जाने पर कि सम्बन्धित इकाई द्वारा पूर्वोक्त नीति के अधीन शर्तों का सम्यक अनुपालन कर दिया गया है, बैंक प्रत्याभूति को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अवमुक्त कर दिया जायेगा।

(घ) इस अधिसूचना के उपबन्ध दिनांक 12.11.2020 से प्रवृत्त माने जायेंगे और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति, 2020 (सन् 2022 में यथा संशोधित) के प्रभावी दिनांक तक लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1/2025/91(1)/94-स्टा०नि०-2-2025, दिनांक : 03 फरवरी, 2025

हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निर्देशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 03 फरवरी, 2025 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र० लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नि०-2-2025, दिनांक : संख्या 1/2025/91(2)/94-स्टा०नि०-2-2025, दिनांक : 03 फरवरी, 2025

यह शासनादेश कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रवाह महालेखाकार लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

गतिः 2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।

प्रतिष्ठान के आदेश 1- प्रमुख सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन।

उ०प्र० शासन 4- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।

उ०प्र० शासन 5- महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र०।

महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० 6- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र० द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०।

विभागीय (वि०/रा०) उ०प्र० 7- समस्त जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), उ०प्र० द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०

य महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० 8- समस्त उप निबन्धक/सहायक/उप महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०।

नि। 9- विधायी अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।

10- भाषा अनुभाग-5, उ०प्र० शासन।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2**

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1/2025/91/94-SR-2-2025-700(89)/2024 dated : 03 February, 2025 :

Notification

No. 1/2025/91/94-SR-2-2025-700(89)/2024

Lucknow; Dated : 03 February, 2025

In exercise of the powers under 78-A of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) as amended from time to time in its application to the State of Uttar Pradesh, the Governor, under this notification, is pleased to remit the registration fee to the extent shown in Column-3 of the Schedule below, chargeable in respect of the instrument as shown in Column-4 of the said Schedule for the purposes as mentioned in Column-2 of the said Schedule as provided in paragraph 5.10 of the Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy, 2020 (as amended in 2022).

SCHEDULE

Relevant Paragraph of the Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy, 2020 (as amended in 2022)	Purpose and other detail	Extent of remission	Nature of instruments and Article number of Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899
1	2	3	4
5.10	On the purchase/lease of land for the establishment of semiconductor units (Silicon Semiconductor Fab, Display Fabrication Unit (Fab), Compound Semiconductors, Silicon Photonics (SiPh), Sensors (including MEMS) Fab, Discrete Semiconductors Fab Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP)/ Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) Facility)	100%	"Conveyance" under clause (a) of Article-23 and "lease" under Article-35 of Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899

2. The aforesaid remission shall be subject to the following conditions, namely :-

- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(a) the Unit shall not be provided with other remission or facility under any other policy of the State Government;

(b) the District Magistrate or the General Manager, District Industries Centre/ Deputy Commissioner Industries with the approval of District Magistrate shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the conveyance deed is being executed for the purposes mentioned above; and

(c) irrevocable bank guarantee of the amount equal to the remission of registration duty in favour of Inspector General of Registration, Uttar Pradesh shall be presented before the Registering Officer at the time of registration of such conveyance deed/lease deed. In this regard, it shall be the liability of I.T. and Electronics Department, Uttar Pradesh to inform the status of non-fulfillment of the purpose or non-commencement of commercial production within the prescribed period, by the unit receiving such remission to the Stamp and Registration Department, Uttar Pradesh immediately. In such a condition, the Stamp and Registration Department, Uttar Pradesh shall deposit the amount in the proper account head of the Department, by encashing the bank guarantee;

Provided that upon confirmation of the fact by the I.T. and Electronics Department, Uttar Pradesh that the conditions under the aforesaid policy have been properly complied with by the concerned unit, the Bank Guarantee shall be released by the Stamp and Registration Department, Uttar Pradesh.

(d) The provisions of this notification shall be deemed to have come into force with effect from 12.11.2020 and shall remain in force till the effective date of the Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy, 2020 (as amended in 2022).

By order,

Amit Gupta
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

194/78-1-25

वि० प०-3

263/PSJT/GEM/RS

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,

संख्या : 2/2025/92/94-स्टा०नि०-2025-700(89)/2024

लखनऊ, दिनांक : 03 फरवरी, 2025

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल अधिसूचना सं०-12/2020/1245/94-स्टा०नि०-2-2020-700(19)/2020 दिनांक 12.11.2020 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करके जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी हो या किये जाने हेतु लोपित (अनुसूची-1) हो, इस अधिसूचना के अधीन उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति, 2020 (सन् 2022 में यथा संशोधित) के पैरा 5.3 व 5.10 में यथा उपबन्धित उक्त अनुसूची के स्तंभ-2 में यथा उल्लिखित प्रयोजनों हेतु उक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में यथा प्रदर्शित लिखत के संबंध में प्रभावी स्टाम्प शुल्क में तीव्र अनुसूची के स्तंभ-3 में प्रदर्शित सीमा तक छूट प्रदान करते हैं।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति, 2020 (सन् 2022 में यथा संशोधित) के सुसंगत पैरा	प्रयोजन व अन्य विवरण	छूट की सीमा	भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसूची-1-ख के अनुच्छेद संख्या और लिखत की प्रकृति
1	2	3	4
5.3	(एक) एकल ई०एस०डी०एम० इकाई की स्थापना हेतु भूमि का क्रय/पट्टा	100 %	भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसूची-1-ख के अनु०-35 के अधीन पट्टा और अनु० 23-के खण्ड-क के अधीन हस्तान्तरण
	(दो) ई०एम०सी०/ई०एस०डी०एम० पार्क्स की स्थापना हेतु (भूस्वामी से विकासकर्ता/एस०पी०वी० को) भूमि का क्रय/पट्टा का प्रथम संव्यवहार पर	100 %	
	(तीन) ई०एम०सी०/ई०एस०डी०एम० पार्क्स की स्थापना हेतु (विकासकर्ता/एस०पी०वी० से ई०एस०डी०एम० इकाई को) भूमि के क्रय/पट्टा के द्वितीय संव्यवहार पर	50 %	
5.10	सेमी कण्डक्टर इकाईयों (सिलिकॉन सेमीकण्डक्टर फैब, डिस्प्ले फैब्रीकेशन इकाई (फैब), कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेन्सर्स (एम०ई०एम०एस० सहित) फैब, डिस्क्रीट	100 %	

1- यह शासन द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- शासन द्वारा शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

6.2.2025

	सेमीकण्डक्टर फैब, सेमीकण्डक्टर असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ए०टी०एम०पी०)/आउटसोर्सिड सेमीकण्डक्टर असेम्बली और टेस्ट (ओ०एस०ए०टी०) सुविधा) की स्थापना हेतु भूमि का क्रय/पट्टा पर		
--	--	--	--

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी-

(क) संबंधित इकाई को राज्य सरकार की किसी अन्य नीति के अधीन अन्य छूट या सुविधा नहीं प्रदान की जायेगी;

(ख) जिले का जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन से महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/उपायुक्त उद्योग ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि हस्तान्तरण विलेख, उपरिलिखित प्रयोजन हेतु निष्पादित किया जा रहा है, तथा

(ग) ऐसे हस्तान्तरण विलेख/पट्टा विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समये मुहानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में स्टाम्प शुल्क की छूट के समतुल्य धनराशि की अप्रतिसंहारणीय बैंक प्रत्याभूति (Bank Guarantee), निबन्धनकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इस सम्बन्ध में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी छूट प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा विहित अवधि के भीतर प्रयोजन की पूर्ति न करने अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की प्राप्ति की सूचना तत्काल स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश को देगा। ऐसी दशा में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश बैंक प्रत्याभूति को भुनाकर विभाग के समुचित लेखाशीर्षक में धनराशि जमा करेगा;

परन्तु यह कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इस तथ्य की पुष्टि किये जाने पर कि सम्बन्धित इकाई द्वारा पूर्वोक्त नीति के अधीन शर्तों का सम्यक अनुपालन कर दिया गया है, बैंक प्रत्याभूति को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अवमुक्त कर दिया जायेगा।

(घ) इस अधिसूचना के उपबन्ध दिनांक 12.11.2020 से प्रवृत्त माने जायेंगे और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति, 2020 (सन् 2022 में यथा संशोधित) के प्रभावी दिनांक तक लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या : 2/2025/92(1)/94-स्टा०नि०-2-2025, दिनांक : 03 फरवरी, 2025

प्रति सम्बन्धित शासक निदेश हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय को प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 03 फरवरी, 2025 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र० लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

संख्या : 2/2025/92(2)/94-स्टा०नि०-2-2025, दिनांक : 03 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1- महालेखाकार लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।

3- प्रमुख सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन।

4- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।

5- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र०।

6- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र० द्वारा महानिरीक्षक निबंधन, उ०प्र०।

7- समस्त जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), उ०प्र० द्वारा महानिरीक्षक निबंधन, उ०प्र०।

8- समस्त उप निबंधक/सहायक/उप महानिरीक्षक निबंधन, उ०प्र० द्वारा महानिरीक्षक निबंधन, उ०प्र०।

9- विधायी अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।

10- भाषा अनुभाग-5, उ०प्र० शासन।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2**

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 2/2025/92/94-SR-2-2025-700(89)/2024 dated : 03 February, 2025 :

Notification

No. 2/2025/92/94-SR-2-2025-700(89)/2024

Lucknow; Dated : 03 February, 2025

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to the State of Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, in supersession of Notification no. 12/2020/1245 /94-S.R.-2-2020-700(19)/2020 dated 12.11.2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, under this notification, is pleased to remit the stamp duty to the extent shown in Column-3 of the Schedule below, chargeable in respect of the instrument as shown in Column-4 of the said Schedule for the purposes as mentioned in Column-2 of the said Schedule as provided in paragraph 5.3 and 5.10 of the Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy, 2020 (as amended in 2022).

SCHEDULE

Relevant Paragraph of the Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy, 2020 (as amended in 2022)	Purpose and other detail	Extent of remission	Nature of Instruments and Article number of Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899
1	2	3	4
5.3	(i) on the purchase/lease of land for the establishment of individual E.S.D.M unit	100 %	"Conveyance" under clause (a) of Article-23 and "lease" under Article-35 of Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899
	(ii) on the first transaction of purchase/lease of land (from land owner to Developer/S.P.V) for the establishment of E.M.C/E.S.D.M parks	100 %	
	(iii) on the second transaction of purchase/lease of land (from Developer/S.P.V to E.S.D.M unit) for the establishment of E.M.C/E.S.D.M parks	50 %	
5.10	on the purchase/lease of land for the establishment of semiconductor units (Silicon Semiconductor Fab,	100 %	

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिक्स की जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shesanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Design Unit (Fab), Compound Semiconductors, Silicon Photonics (SiPh), Sensors (including MEMS) Fab, Discrete Semiconductors Fab Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging(ATMP)/Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) Facility	
--	--

2. The aforesaid remission shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) the Unit shall not be provided with other remission or facility under any other policy of the State Government;

(b) the District Magistrate or the General Manager, District Industries Centre/Deputy Commissioner Industries with the approval of District Magistrate shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the conveyance deed is being executed for the purposes mentioned above; and

(c) irrevocable bank guarantee of the amount equal to the remission of stamp duty in favour of Inspector General of Registration, Uttar Pradesh shall be presented before the Registering Officer at the time of registration of such conveyance deed/lease deed. In this regard, it shall be the liability of the I.T. and Electronics Department, Uttar Pradesh to inform the status of non-fulfillment of the purpose or non-commencement of commercial production within the prescribed period, by the unit receiving such remission to the Stamp and Registration Department, Uttar Pradesh immediately. In such a condition, the Stamp and Registration Department, Uttar Pradesh shall deposit the amount in the proper account head of the Department, by encashing the bank guarantee;

Provided that upon confirmation of the fact by the I.T. and Electronics Department, Uttar Pradesh that the conditions under the aforesaid policy have been properly complied with by the concerned unit, the Bank Guarantee shall be released by the Stamp and Registration Department, Uttar Pradesh.

(d) The provisions of this notification shall be deemed to have come into force with effect from 12.11.2020 and shall remain in force till the effective date of the Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy, 2020 (as amended in 2022).

By order,

Amit Gupta
Pramukh Sachiv.

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।